अनुदान संख्या 53 – मंत्रिमंडल
GRANT No. 53–CABINET

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*6,00*				
				23,00	*6,64*	*–16,36*
पूरक	*Supplementary*	*17,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	187,37,00				
				227,86,00	200,68,28	–27,17,72
पूरक	Supplementary	40,49,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,35,60
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			3,00,00	17,78	–2,82,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,60,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (1*6.36 लाख रु.)* मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए *17.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का 96 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 71 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the c*harged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.16.36* lakhs) constituted 96 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.17.00 lakhs* obtained in March, 2006 and 71 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	*6.00*			
			23.00	*6.64*	*–16.36*
पू.	S.	*17.00*			

(I) "विशेष सुरक्षा दल - स्थापना'' के अंतर्गत *6.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *17.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *23.00 लाख* रु. कर दिया गया, यद्यपि, जो निपटाए न गए मामलों के संबंध में विधिक न्यायालयों को अदायगी न किए जाने के कारण *16.36 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Special Protection Group-Establishment"- the original *appropriation* of *Rs.6.00 lakhs* was augmented to *Rs.23.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.17.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.16.36 lakhs* - due to non-payment to Law Courts in respect of undisposed cases.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2717.72 लाख रु.) अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 4049.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 67 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2717.72 lakhs) constituted 67 percent of the supplementary grants of Rs.4049.00 lakhs obtained in August, 2005 and March, 2006 and 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2013'' मंत्रिपरिषद	Major Head "2013" Council of Ministers				
मू.	O.	8462.00			
पू.	S.	1542.00	9964.49	9776.32	–188.17
पु.	R.	–39.51			
मुख्य शीर्ष "2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	10113.00			
पू.	S.	2507.00	11623.91	10129.97	–1493.94
पु.	R.	–996.09			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2013'' - "दौरा व्यय - केंद्रीय मंत्री'' के अंतर्गत 4300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1541.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर

(A) Under Major Head "2013" – "Tour Expenses – Cabinet Ministers"- the original provision of Rs.4300.00 lakhs was augmented to Rs.5841.00 lakhs by obtaining supplementary

5841.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में चुनाव के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किए जाने की वजह से केंद्रीय मंत्रियों द्वारा कम घरेलू दौरे किए जाने के कारण 471.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

grant of Rs.1541.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.471.24 lakhs - due to less domestic tours taken by the Cabinet Ministers owing to imposition of code of conduct by the Election Commission of India during election in Bihar, West Bengal and Haryana.

(ख) मुख्य शीर्ष "2055'' - "विशेष सुरक्षा दल - स्थापना'' के अंतर्गत 10113.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2507.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 12620.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो मशीनरी और चिकित्सा उपस्कर की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, संपत्ति कर पर कम व्यय होने और विशेष सुरक्षा समूह परिसर, विभिन्न स्थानों पर अन्य सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों के संबंध में वार्षिक मरम्मत और रख-रखाव के अनुमानों में अधोमुखी संशोधन किए जाने, 800 मेगा हर्ट्ज संचार प्रणाली प्राप्त करने के प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने, प्रधानमंत्री कार्यालय में कम सुरक्षा उपस्कर प्राप्त होने, नई हथियार प्रणाली की अधिप्राप्ति पर कम व्यय होने और प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए बीएमडब्ल्यू कारों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 2490.03 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Under Major Head "2055" – "Special Protection Group - Establishment"- the original provision of Rs.10113.00 lakhs was augmented to Rs.12620.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2507.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2490.03 lakhs - due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery and medical equipment, less expenditure on property tax and downward revision of estimates for annual repair and maintenance of Special Protection Group complex, other security related works at various locations, non-materialisation of proposals to obtain a 800 MHz communication system, receipt of fewer security equipment at Prime Minister's office, less expenditure on procurement of new weapon system and non-finalisation of procurement of BMW cars for training purpose.

(II) मुख्य शीर्ष "2013'' - "प्रधानमंत्री का कार्यालय - स्थापना'' के अंतर्गत 130.02 लाख रु. की बचत (1498.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, विदेश मंत्रालय से कम डेबिट दावे प्राप्त होने, न्यायालय की डिग्री/अधिनिर्णयों को पूरा करने के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2013" - "Prime Minister's Office - Establishment" - saving of Rs.130.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1498.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipts of less debit claims from the Ministry of External Affairs, less requirement of funds for meeting Court's decrees/awards and economy measures.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 66.30 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.66.30 lakhs occurred constituting 49 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (78.36 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2013'' - "मंत्रिमंडल सचिवालय - प्रधानमंत्री की उच्चाधिकार प्राप्त समिति'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3.(I) The above savings were partly (Rs.78.36 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2013" - "Cabinet Secretariat - Prime Minister's High Level Committee".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2013" - "दौरा व्यय - राज्य मंत्री" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 291.58 लाख रु. का अधिक व्यय (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य मंत्रियों द्वारा अधिक घरेलू और विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2013"-"Tour Expenses – State Ministers"- excess of Rs.291.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to more domestic and foreign tours undertaken by the State Ministers.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

4. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	300.00	40.00	17.78	–22.22
पु.	R.	–260.00			

(I) "विशेष सुरक्षा समूह - कार्यालय भवन" के अंतर्गत 282.22 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को देर से अंतिम रूप दिए जाने, पार्किंग शेडों को अंतिम रूप न दिए जाने, अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने और कृत्रिम मार्ग बिछाए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Special Protection Group - Office Buildings" - saving of Rs.282.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to late finalisation of proposals for construction of Kendriya Vidyalayas and non-finalisation of Parking Sheds, acquisition of additional land and laying of synthetic track.